राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/लीज/2022–23/89/88 दिनांक : 27/06/2022

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(10)नविवि/नियम/2019 दिनांक 26.04.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(संजय शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., ...
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., ...
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

(सुनीता माथुर)
उप वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

26 APR 2022

क्रमांकः–प.17(10)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांकः

–: आदेश :–

विभागीय आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/2011 पार्ट दिनांक 30.09.2020 द्वारा दिनांक 01.05.2020 के बाद नीलामी के भूखण्डों में 240 व 360 दिन में राशि जमा कराने की छूट एवं नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है उन प्रकरणों में 35 प्रतिशत राशि दिनांक 31.12.2020 तक एवं 50 प्रतिशत राशि 31.03.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की गई, जिसे बाद में विभागीय आदेश क्रमांक प.17(10)नविवि/II/2019 दिनांक 19.01.2021 द्वारा क्रमशः 31.03.2021 एवं 30.06.2021 तक, आदेश दिनांक 04.06.2021 द्वारा क्रमशः 30.06.2021 एवं 30.09.2021 तक एवं आदेश दिनांक 01.11.2021 द्वारा क्रमशः 31.12.2021 एवं 31.03.2022 तक बढाया गया।

राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है, ऐसे प्रकरणों में भूखण्डों की शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने की अंतिम बार छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamS